न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदी लाल मीणा आर.ए.एस.

प्र0सं0. 22 / 2022
स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी, हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

मोहनलाल पुत्र श्री मूलचन्द, न्यू लोकेश पापड़ भुजिया भण्डार, हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ

अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

उपस्थितः– 1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि0।
2 मोहम्मद रफीक अभिभाषक अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

दिनांकः –21.10.2024

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 19.10.2022 को जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ मय कार्यालय स्टाफ घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक उपयोग के सम्बन्ध में निरीक्षण के दौरान जाँच करने हेतु एस०आर०एम० स्कूल के सामने स्थित न्यू लोकेश पापड़ भुजिया भण्डार, हनुमानगढ़ टाऊन पर उपस्थित हुए। मौके पर दुकान में मालिक मोहनलाल उपस्थित मिले जिन्होने दुकान का निरीक्षण करवाया। तलाशी के दौरान दुकान में नमकीन भुजिया बनाने हेतु 9 घरेलू गैस सिलेण्डर (भारतगैस कम्पनी) उपयोग में लिये जा रहे थे। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग पाया गया जो लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 की धारा 3(ग) का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण उक्त समस्त 9 घरेलू गैस सिलेण्डर वजह सबूत जब्त किये गये जिन्हे हनुमानगढ़ टाऊन स्थित बालाजी गैस एजेन्सी के कार्यकर्ता श्री सौरव छाबड़ा पुत्र श्री ओमप्रकाश को सुपुर्द किये गये। चूँकि मोहनलाल पुत्र श्री मूलचन्द, न्यू लोकेश पापड़ भुजिया भण्डार, हनुमानगढ़ टाऊन का उक्त कृत्य लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 की धारा 3(ग) का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जब्त 9 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि अप्रार्थी ने अपनी दुकान पर कभी भी घरेलु गैस सिलेण्डर का उपभोग एवं उपयोग नहीं किया है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जब्त [illegible] घरेलू गैस सिलेण्डर जो कि उक्त दुकान में उपयोग किया [illegible]ना बताया गया है, उक्त गैस सिलेण्डरों में से [illegible] सिलेण्डर ही भरा हुआ था। बाकी सभी 08 सिलेण्डर खाली पाये गये थे। [illegible] में सिलेण्डर होना बताया गया है, जबकि मौका से गैस भट्टी और पाईप [illegible] नहीं मिले। चूंकि भारत गैस एजेन्सी का गोदाम एसआरएम स्कूल के पास अप्रार्थी की दुकान के नजदीक है व सप्लाई [illegible]टर वहीं से जाते है। अप्रार्थी वहीं से भरे हुये सिलेण्डर प्राप्त कर लेता है। उक्त प्रकरण [illegible] 09 सिलेण्डर अप्रार्थी व अप्रार्थी के रिश्तेदारों के है, उसे भरवाने हेतू मय कॉपी अप्रार्थी के पास उसकी दुकान पर छोड़कर जाते थे, अप्रार्थी उन्हे भरवा देता था। अतः जवाब प्रस्तुत कर

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.11.12 11:12:36 IST
Reason: SelfAttested

निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे एवं अप्रार्थी को जब्त उक्त सिलेण्डर दिये जाने का आदेश फरमावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा तलाशी के दौरान दुकान में नमकीन भुजिया बनाने हेतु 9 घरेलू गैस सिलेण्डर (भारतगैस कम्पनी) उपयोग में लिये जा रहे थे। जब्तशुदा घरेलू सिलेण्डर उपयोग में लिये जा रहे थे, जब व्यावयायिक सिलेण्डरों की ही व्यवसाय में उपयोग किये जा सकते हैं। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग पाया गया जो लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 की धारा 3(ग) का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण उक्त समस्त 9 घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि:–

1. अप्रार्थी के सिलेण्डर को प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा 09 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किये हुये हैं, यह अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया है। जब्तशुदा घरेलू सिलेण्डर व्यवसायिक उपयोग में लिये जा रहे थे, जब व्यावयायिक सिलेण्डरों को ही व्यवसाय में उपयोग किये जा सकते हैं। घरेलू सिलेण्डर अनाधिकृत रूप से अप्रार्थी द्वारा उपयोग किया जा रहा था। जब्तशुदा घरेलू सिलेण्डर उपयोग व्यावसायिक में उपयोग करना गैर कानूनी है। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।
2. अप्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डरों को बिना अनुज्ञा पत्र/लाईसेन्स के रखना पाया गया है जिसका अप्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

अतः उक्त जब्तशुदा 9 घरेलू गैस सिलेण्डर (भारतगैस कम्पनी) को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीणा)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.11.12 11:12:36 IST
Reason: SelfAttested